न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 194 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. सुखाराम पुत्र गंगा 2. किशन पुत्र भभूता 3. हडमान पुत्र भभूता 4. मोहन पुत्र भभूता 5. जगदीश पुत्र भभूता 6. गवरी पत्नी भभूता 7. हरिराम पुत्र गंगाराम 8. बाबू पुत्र गंगाराम 9. भजनलाल पुत्र नरसिंगाराम 10. हीरा पुत्र धूड़ा सभी जाति विश्नोई निवासी ग्राम गोडा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. हरिराम पुत्र मोवताराम 2. जयकरण पुत्र मोवताराम 3. सोना पुत्र भारमल 4. भागीरथ पुत्र भारमल 5. भंवरा पुत्र भारमल 6. मंगला पुत्र भारमल 7. सेहनलाल पुत्र सावता 8. पूनी पत्नी सावता 9. चनणी पत्नी भगवाना 10. मोहनलाल पुत्र सदराम 11. ओमप्रकाश पुत्र सदराम 12. शान्तिदेवी पत्नी सदराम 13. शान्तिदेवी पत्नी भाखराराम सभी जातियान विश्नोई निवासी ग्राम गोडा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 14. श्रीमान् तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 247 / 2018 बअनवान हरिराम वगैरा बनाम हीरा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रोशनलाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील उतरदाता की तरफ से ब्रीफ हॉल्डर अधिवक्ता श्री कुमार कौशल जोशी।

निर्णय

दिनांकः—15.01.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 21 की सहखातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 316 रकबा 0.17 बीघा, खसरा संख्या 317 रकबा 57.10 बीघा कुल रकबा 58.07 बीघा वाके ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गोडा तहसील सेड़वा तथा खसरा संख्या 320 रकबा 87.18 बीघा, खसरा संख्या 643/320 रकबा 41.05 बीघा कुल रकबा 129 बीघा भूमि वाके ग्राम गोडा में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 22 की सहखातेदारी की इसी तरह खसरा संख्या 180 रकबा 221.06 बीघा ग्राम चितरड़ी तहसील सेड़वा में आई हुई है। उपरोक्त भूमि में वादीगण का 1/8 हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है तथा उसी अनुसार मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है इस आश्य का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में अपीलांटस को सम्मक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सेड़वा से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण तामिल हेतु लम्बित चल रहा था जिसमें विधि अनुसार तामिल सम्यक रूप से नहीं करवाई गई तथा लम्बे समय पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिस कारण अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका तथा अपीलार्थीगण अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह कब्जे काश्त के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगाये जाने का निर्णय पारित किया गया है जो निर्णय राजस्व मण्डल द्वारा तय किये गये नियमों के विपरित व बाई मिटस एण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बाउण्डस नहीं होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की जानकारी अपीलांटस को शुरू से ही अपीलकर्ता को रही है, तथा वर्तमान अपील में अपीलकर्तागण द्वारा मात्र हवाई तौर से अपने अधिवक्ता पर आक्षेप लगाया है किन्तु अपीलकर्तागण द्वारा अधिवक्ता नियुक्त नहीं करने या फर्जी हस्ताक्षर करने के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की, जिससे अपीलकर्ता के उक्त कथन अपने आप में ही झुठे सिद्ध होने से मानने योग्य नहीं है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने की बदनियति से वर्तमान अपील प्रस्तुत की है, जो चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है। इसके उपरांत भी श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो मातहत अदालत को समय सीमा तय कर किया जावे ताकि प्रकरण में अनावश्यक विलंब नहीं हो।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय अपीलांटस को सुने बिना पारित किया गया। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है लेकिन अपीलांटस को साक्ष्य पेश करने के अवसर नहीं दिये गये है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 247/2018 बअनवान हरिराम वगैरा बनाम हीरा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर एक माह में विधि सम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.01.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उपरोक्त दिनांक से पूर्व भिजवाया जावे।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर